(च) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर "हां" में हो तो इस मनमानेपन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) एयर टैक्सी प्रचालकों द्वारा लिये जाने वाले किरायों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे लोग अपने उत्तम वाणिज्यिक निर्णय में किराया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। वायु निगम अधिनियम, 1953, जिसका 1 मार्च, 1994 का निरसन कर दिया गया है, एयर टैक्सी प्रचालकों पर लागू नहीं था।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पटना दिल्ली उड़ानों में विलंब

5860. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 31 मार्च, 1994 तक की अवधि के दौरान पटना से दिल्ली की उड़ान संख्या 810 और दिल्ली से पटना की उड़ान संख्या 809 कितने दिनों तक समय पर चली और कितने दिनों तक विलम्ब से चली ;

(ख) विलम्ब से चलने के मुख्य कारण क्या है और सरकार ने उस समय यात्रियों को पेश आई असुविधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सरकार भविष्य में इस तरह के विलम्ब से बचने के लिए और नियत समय पर यात्रियों को उड़ान उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस अवधि के दौरान 178 उड़ानों में से (आई सी–809 और आई सी 810 क्रमशः दिल्ली और पटना से) 103 उड़ानों में विलम्ब हुआ था और 5 उड़ानें रद्द हुई थीं। 70 उड़ानें समय पर प्रचालित हुई थीं।

(ख) विमान अनुरक्षण और हैंडलिंग के कारण 16 उड़ानों में विलंब हुआ था और 3 उड़ानें रद्द हुई थीं जबकि विमानपत्तन प्रतिबंधों, खराब मौसम, परिणामी और अन्य विविध कारणों से 8% उड़ानों में विलब हुआ था और 2 उड़ानें रद्द हुई थी। विलंब/रद्द होने के मामले में भोजन/होटल आवास के लिए स्थिति की मांग के अनुसार समुचित प्रबन्ध किया जाता है।

(ग) कारणों का पता लगाने के लिए सभी विलंबों का विश्लेषण किया जाता है और जहां कहीं संभव हो उपचारी उपाय किए जाते है परिणामी विलबों को कम करने की दृष्टि से 3 अप्रैल, 1994 से विमान प्रचालन योजना पुनर्निर्धारित की गई है।

सहारा इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में जांच में विलंब

5861. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री 21 अप्रैल, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 353 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सहारा इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जांच में जानबूझकर विलंब किया गया है अथवा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दमानिया एयरवेज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया जबकि सहारा एयर लाइंस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ;